उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3

संख्या–1492/60–3–2016–62(सा)/16

लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन अधिसूचना संख्या–1491/60–3–2016–62(सा)/16 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (पंचम संशोधन) नियमावली–2016 प्रख्यापित की गयी है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (पंचम संशोधन) नियमावली–2016 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ।
12. विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।
13. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय तथा कोष की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. उप निदेशक, (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ, इस अनुरोध सहित कि इस नियमावली की 1000 मुद्रित प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायें।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

Sri Tandan/Go

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3

संख्या– 1491 /60–3–2016–62(सा.)/16

लखनऊः: दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (पंचम संशोधन) नियमावली–2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली में अंकित शीर्षक "**उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली**" के स्थान पर संशोधन करके शीर्षक का नाम "**उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली**" किया जाता है तथा नियमावली में जहॉ–जहॉ "महिलाओं/बालिकाओं" का अंकन है, वहॉ–वहॉ "महिलाओं और बालिकाओं के साथ साथ बालकों" को भी पढ़ा जाये।

नियमावली के शेष नियम, प्राविधान एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

21/12/16

(रेणुका कुमार)

प्रमुख सचिव।

C-2 Kosh rule ammendment